उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास विभाग
संख्याः 1608/IV(2)–शा0वि0–11–284(सा0)/04
देहरादून : दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 296 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड के 03 (तीन) मिशन शहरों यथा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं 01 (एक) लाख से अधिक जनसंख्या वाली स्थानीय निकायों हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगरपालिका लेखा संहिता और उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगर निगम लेखा नियमों के समस्त विद्यमान नियमों को अधिक्रमित करते हुए लेखा प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय लेखा संग्रह– भाग 2

(लेखा प्रक्रिया, नियम और निर्देश)

अध्याय–एक

प्रारम्भिकी

1.1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय लेखा संग्रह भाग 2 है और यह देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होगा।

(ख) यह राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे।

1.2 परिभाषाएं

1.2.1 विषय या सन्दर्भ में, जब तक कोई अन्य बात न हो, इन नियमों में :–

(क) "अधिनियमों" से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगर निगम अधिनियम, 1959 अभिप्रेत है;

(ख) "लेखा अधिकारी" से ऐसा अधिकारी या नगर निगम का कोई अधिकारी, जो कि लेखा अभिलेखों को समुचित रूप से अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी हो, अभिप्रेत है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी लिखित आदेश द्वारा नगर निगम के किसी अधिकारी को, जिसके पास लेखा अनुरक्षित रखने और नियम के अनुभव का पर्याप्त ज्ञान हो, को लेखा अधिकारी के दायित्वों में से कोई दायित्व के लिए अधिकृत कर सकता है और इन परिस्थितियों में इन नियमों के प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यक्ति लेखा अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेगा;

(ग) "बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक या अन्य अनुसूचित बैंक या बैंक अभिप्रेत है।

यू0ए0एम0– 134

शहरी स्थानीय निकाय का नाम .....

विभागीय भण्डार पुस्तिका

.....वस्तुओं का वर्णन

तारीख	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त संख्या और मात्रा	योग	किसे जारी किया गया या किस प्रयोजन के लिए	जारी मात्रा की संख्या	अवशेष	जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टिप्पणी :–

यह प्ररूप उन शहरी स्थानीय निकायों के विभागों या अनुभागों के प्रयोग में लाया गया, जिनमें वस्तुएं केन्द्रीय भण्डार गृह (नगरपालिका भण्डार गृह) से जारी किए जाते हैं।

6.3 टिप्पणी

लेखे के समुचित रखरखाव के लिए आवश्यक समझने पर शहरी स्थानीय निकाय से कोई अन्य शहरी विकास विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रयुक्त नहीं किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

13.12.2011

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या (1)/IV(2)–श0वि0–11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखनसामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को अपने असाधारण गजट के अग्रिम अंक में विधायी परिशिष्ट मे प्रकाशित कर गजट की 25–25 मुद्रित प्रतियां निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा शहरी विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

संख्या /608 (2)/IV(2)–श0वि0–11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सचिव, श्री राज्यपाल को श्री राज्यपाल महोदय के सूचनार्थ।
4. प्रभारी सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. प्रशासक, नगर निगम, हरिद्वार/हल्द्वानी।
11. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
12. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल/रूद्रपुर/काशीपुर/रूड़की।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।